Government of India Ministry of Finance Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION - 5 New Delhi, the 2 C September, 2018

S.O.....(E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, Tamil Nadu Pollution Control board', a Board constituted by the State Government of Tamil Nadu, in respect of the following specified income arising to the said Board, namely:--

- Consent fees; (a)
- Analysis fees or air ambient quality survey fees or noise level survey fees; (b)
- Reimbursement of the expense received from Central Pollution Control Board towards (c) National Air Monitoring Programmes, Global Environment Monitoring Systems and Monitoring of Indian National Aquatic resources and like schemes;
- (d) Authorization fees (Bio Medical Waste Management Fees);
- Cess re-imbursement and cess appeal fees; (e)
- Fees collected for training conducted by the Environment Training Institute of the (f) Board where no profit element is involved and the activity is not commercial in nature;
- Fees received under the Right to Information Act, 2005(22 of 2005); (g)
- (h)Public hearing fees:
- Sale of law books where no profit element is involved and the activity is not commercial (i) in nature;
- (i) Interest on loans and advances given to staff of the Board;
- Miscellaneous income such as sale of old or scrap items, tenders fees and other (k) matters relating thereto; and
- (1)Interest on deposits.
- This notification shall be effective subject to the conditions that Tamil Nadu Pollution Control board, Chennai -
 - (a) shall not engage in any commercial activity;
 - activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the (b) financial years; and
 - shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (c)(4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- This notification shall apply with respect to the assessment years 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.

[Notification No. \$\frac{1}{2018}\$ F.No. 300196/45/2018-ITA-I]

V.S.GOVE

(Vinay Sheel Gautam)

Under Secretary to the Government of India

To

The Manager, Government of India Press, Mayapuri Press, New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार वितत मंत्रालय राजसव विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना -58

नह दिल्ली, दिनांक >6 सितम्बर, 2018

का. आ.... (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के ब्रंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्भदेश्य की पूर्ति हेतु तमिलनाडु, राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड 'तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिस्चित करती है, अर्थात:-

स्वीकृति फीस; (क)

विश्लेषण फीस या वायुपरिवेशी गुणवत्ता सर्वे फीस या ध्वनि स्तर सर्वे फीस;

राष्ट्रीय वायु मॉनीटरिंग कार्यक्रमों, वैश्विक पर्यावरण मॉनीटरिंग सिस्टम और भारतीय राष्ट्रीय जलचर (एक्वैटिक) (ख) (II) संसाधनों और सदृश योजनाओं की ओर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति;

प्राधिकृत फीस (बायो मेडिकल अपव्यय प्रबन्धन फीस); (घ)

उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील फीस;

बोर्ड के पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण के लिए एक त्रित फीस जहां कोई भी लाभांश शामिल (ङ) (च) नहीं है और कार्यकलाप प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं हैं;

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के तहत प्राप्त फीस; (छ)

जन सुनवाई फीस;

कानून पुस्तकों की बिक्री जहां कोई लाभांश शामिल नहीं है और कार्यकलाए प्रकृति में वाणिज्यिक नहीं हैं; (জ) (軒)

बोर्ड के स्टाफ को दिए गए ऋणों और अग्रिम पर ब्याज;

विविध आय जैसे पुराने या स्क्रेप मदों की बिक्री, टेन्डर फीस; और तत्संबंधी अन्य मामले; और (অ) (Z)

जमाओं पर ब्याज **(ठ)**

यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, चेन्नै:-2.

किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और (事) (頓)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा-4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की (Ħ) विवरणी दायर करेगा।

यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्षों 2019-20, 2020-21, 2021-22, 🞝 022-23 और 2023-24 के लिए लागू 3. होगी।

(अधिसूचना सं. 59 /2018 मा. सं. 300196/45/2018-आईटीए-I)

विनय शील गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी प्रेस, नई दिल्ली